कार्यालय नगर पालिका परिषद आजमगढ़

पत्रांक :– 798 /ला0वि0न0पा0प0आ0 दिनांक :– 25/3/17

निविदा सूचना

नगर पालिका परिषद आजमगढ़ सीमान्र्तगत सड़कों/फुटपाथ के किनारे होर्डिंग/विज्ञापन शुल्क/साइन बोर्ड दीवारों पर पेन्टिंग के कार्य को विनियमित एवं नियंत्रित एवं निषेध के सम्बन्ध में नगर पालिका परिषद आजमगढ़ में उप विधि के मान्य नियमों के अर्न्तगत निर्धारित लाइसेंस शुल्क वित्तीय वर्ष 2017–18 की वसूली की जानी है। इच्छुक फर्म/ठेकेदार व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि दिनांक 1-4-2017 को अपरान्ह 03:00 बजे तक सीलबन्द मुहरबन्द निविदाएं कार्यालय दिवस में आमंत्रित की जाती हैं, जो उसी दिन अधोहस्ताक्षरी द्वारा उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जायेगी। दिनांक 27 से 31/3/17 को कार्यालय दिवस समय 10:00 बजे से 03:00 बजे तक निविदा की बिक्री की जायेगी। सभी निविदा बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार सक्षम प्राधिकारी में होगा। 10 प्रतिशत धरोहर धनराशि जो अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद आजमगढ़ के नाम प्रतिभूत होगा। टेण्डर के समय संलग्न करना अनिवार्य होगा।

क्र0	कार्य का विवरण	वर्ष	अनुमानित धनराशि	निविदा प्रपत्र मूल्य	जमानत धनराशि	अन्य
1	नगर पालिका परिषद आजमगढ़ सीमान्तर्गत होर्डिंग,विज्ञापन शुल्क /दीवार पर पेन्टिंग आदि शुल्क की वसूली हेतु।	2017से 31 मार्च, 2018 तक	500000.00	500.00	50000.00	–

शर्तें:–

1. निविदा का सम्बन्ध नगर पालिका परिषद आजमगढ़ सीमान्र्तगत है।
2. निविदा वित्तीय वर्ष 2017–18, 31 मार्च तक है।
3. निविदा के साथ प्रतिभूति धनराशि एन0एस0सी0,एफ0डी0आर0 के रूप में निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
4. निविदा के साथ नवीनतम पैन नम्बर, टीन नम्बर, हैसियत प्रमाण–पत्र, चरित्र प्रमाण–पत्र जमा करना अनिवार्य होगा।
5. शरायतनामा कार्यालय दिवस में लाइसेंस विभाग में देखा जा सकता है।

कर निर्धारण अधिकारी
नगर पालिका परिषद,आजमगढ़

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद,आजमगढ़

अध्यक्ष
नगर पालिका परिषद,आजमगढ़

प्रतिलिपिः–1. सम्पादक अमर उजाला/राष्ट्रीय सहारा को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि आगामी अंक में कम से कम स्थान, न्यूनतम दर पर प्रकाशित कर पेपर सहित बिल प्रस्तुत करें।

2. जिलाधिकारी महोदय आजमगढ़ को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. जिला सूचना केन्द्र अधिकारी, एन0आई0सी0 के वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
4. उप जिलाधिकारी महोदय आजमगढ़ को सादर सूचनार्थ।
5. कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद,आजमगढ़

कार्यालय नगर पालिका परिषद आजमगढ़

सरायत नामा, विज्ञापन शुल्क, होर्डिंग शुल्क, वालपेन्टिंग शुल्क, साईन बोर्ड

1. निविदा विज्ञापन शुल्क, होर्डिंग शुल्क, वालपेन्टिंग, साइन बोर्ड वित्तीय वर्ष 2017–18, 31 मार्च तक मान्य होगा।
2. निविदादाताओं को नवीनतम हैसियत प्रमाण–पत्र, चरित्र प्रमाण–पत्र, टीन नम्बर, पैन नम्बर संलग्न करना अनिवार्य होगा।
3. अधिकतम निविदादाता को निविदा स्वीकृत होने के तुरन्त बाद निविदा का 60 प्रतिशत पालिका कोष में जमा करना होगा एवं 03 माह के बाद शेष धनराशि/दिसम्बर, 2017 में जमा करना अनिवार्य होगा।
4. यदि अधिकमत निविदादाता (प्रथम) निविदा स्वीकृत के बाद 60 प्रतिशत धनराशि जमा करने में असफल होता है तो प्रतिभूत धनराशि जब्त करते हुए द्वितीय निविदादाता के पक्ष में निविदा स्वीकृत की जायेगी।
5. निविदादाता को स्टाम्प अधिनियम के संसुगत प्राविधानों के तहत निर्धारित स्टाम्प पर अनुबन्ध करना अनिवार्य होगा।
6. उपविधि के मान्य नियमों के तहत ही होर्डिंग शुल्क, वालपेन्टिंग, साइन बोर्ड की वसूली करना अनिवार्य होगा। यदि ठेकेदार चूक करता है तो उसकी निविदा नियमानुसार निरस्त कर दी जायेगी।
7. निविदादाता/ठेकेदार को किसी भी प्रकार से बल प्रयोग द्वारा होर्डिंग शुल्क, विज्ञापन शुल्क आदि की वसूली नही करेगा।
8. यदि ठेकेदार द्वारा बल पूर्वक वसूली की जाती है तो प्राथमिकी दर्ज होने पर फर्म/ठेकेदार स्वंय जिम्मेदार होगा एवं ठेकेदार को कालीसूची में अंकित किया जायेगा।
9. यदि किसी प्रकार का वाद योजित होता है तो उसका परिक्षेत्र आजमगढ़ न्यायालय ही होगा।
10. यदि ठेकेदार द्वारा स्वीकृत निविदा जमा करने में चूक होती है तो उपरोक्त की वसूली भू–राजस्व की भॅाति वसूली करने का अधिकार नगर पालिका परिषद/जिलाधिकारी आजमगढ़ में निहित होगा।
11. वर्जित क्षेत्र/निषिद्ध क्षेत्र में होर्डिंग/विज्ञापन का प्रर्दशन करना निषिद्ध होगा।
12. पालिका द्वारा निर्धारित स्थान पर ही होर्डिंग/विज्ञापन पट्‌ट लगाये जायेगें। किसी भी तरह से आवागमन, जनसुरक्षा, मार्ग अवरूद्ध करना निषिद्ध होगा।
13. किसी भी भवन के छत पर कोई भी विज्ञापन इस प्रकार नही रखा जायेगा जिसमें की छत जर्जर हो एवं भवन के किसी दूसरे भाग के मुक्त प्रवेश में व्यवधान उत्पन्न कर रहा हो।
14. कोई भी विज्ञापन पट नगर के मुख्य चौराहो से 200मी0 की दूरी पर लगाये जा सकेगें।
15. यातायात अवरूध होने की दशा में विज्ञापन पट को हटाया जाना आवश्यक होगा।
16. निविदा विज्ञापन शुल्क, होर्डिंग शुल्क, यूनिपोल, बस शेल्टर स्टैण्ड, गैन्ट्रीलीवर , वालपेन्टिंग, साइन बोर्ड वित्तीय वर्ष 01 अप्रैल–2017–31 मार्च 2018 तक मान्य होगें।
17. इसके अतिरिक्त नगर पालिका परिषद आजमगढ़ के लाइसेंस लेने हेतु गजट प्रकाशन के अन्र्तगत समस्त उपविधियों के अधीन रहकर नियमानुसार कार्य करने को बाध्य होगें।
18. ठेकेदार को सड़क के मुख्य मार्गो पर विज्ञापन शुल्क लिये जाने हेतु सूचना/दरों का प्रदर्शन करना होगा।
19. शासन/जिला प्रशासन से यदि कोई निर्देश/आदेश प्राप्त होते हैं तो ठेकेदार/फर्म को मानना अनिवार्य होगा।
20. किसी भी समय बिना कारण बताये नोटिस के निविदा को समाप्त करने का अधिकार नगर पालिका परिषद आजमगढ़ अध्यक्ष में निहित होगा।

कर निर्धारण अधिकारी नगर पालिका परिषद आजमगढ़	**अधिशासी अधिकारी** नगर पालिका परिषद आजमगढ़	**अध्यक्ष** नगर पालिका परिषद आजमगढ़